न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 63/2025 G.C.M.S. No. 2025/358 दर्ज दिनांक : 06.06.2025

अपीलार्थीगण:

चम्पालाल पुत्र रामलालजी, जाति माली, निवासी सिरे मंदिर रोड़ पिपिलीया बेरा, जालोर तहसील व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. मदनलाल पुत्र लादारामजी, उम्र 22 वर्ष,
2. रणछोडाराम पुत्र लादारामजी, उम्र 42 वर्ष,
   जातियान मीणा, निवासीगण लाल पोल के अन्दर, जालोर तहसील व जिला जालोर।
3. मंगलाराम पुत्र पतीया उर्फ प्रतापरामजी, जाति मीणा, निवासी लाल पोल के अन्दर जालोर तहसील व जिला जालोर।
4. पेपी पत्नी सकारामजी, जाति माली, निवासी सिरे मन्दिर रोड़ पानीया नाड़ा, जालोर, तहसील व जिला जालोर।
5. मूलीया पुत्र गिरधारी, जाति माली, निवासी सिरे मन्दिर रोड़ जालोर, तहसील व जिला जालोर।
6. रामलाल पुत्र मनरूपजी के कायम मुकाम वारिसान:—
   - 6/1 रूपी देवी पत्नी रामलालजी, जाति माली, निवासी सिरे मन्दिर रोड़ पिपलीया बेरा जालोर तहसील व जिला जालोर।
   - 6/2 नरसींगमल पुत्र रामलालजी जाति माली, निवासी सिरे मन्दिर रोड़ पिपलीया बेरा जालोर तहसील व जिला जालोर।
   - 6/3 सुन्दर देवी पुत्री रामलालजी पत्नी नैनारामजी, जाति माली, निवासी राजेन्द्र नगर, जालोर तहसील व जिला जालोर।
   - 6/4 पेपीदेवी उर्फ पुष्पा देवी पुत्री रामलालजी, जाति माली, तानु होटल के पीछे, जालोर तहसील व जिला जालोर।
   - 6/5 मोहनी देवी पुत्री रामलालजी पत्नी जितेन्द्रजी, जाति माली, निवासी राजेन्द्र नगर, जालोर तहसील व जिला जालोर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।
8. भूताराम पुत्र करणारामजी, जाति देवासी, निवासी रेबारियों का वास, भागल भीम, तहसील भीनमाल, जिला जालोर।
9. चन्द्रवीरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2021 (GCMS NO. 213/2021) बअनवान मदनलाल बनाम मंगलाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.05.2025

पैरोकार:—

1. श्री भवानीसिंह सान्दू, श्री कुणाल मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. श्री तेजसिंह बालावत, श्री उत्तम कुमार गेहलोत, चिरंजीलाल गेहलोत, श्री गोपाल जोशी विद्वान अभिभाषकगण रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय दिनांक: 29.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2021 (GCMS NO. 213/2021) बअनवान मदनलाल बनाम मंगलाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डक्री दिनांक 19.05.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद बाबत् विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, जालोर मे इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के संयुक्त कब्जा काश्त एवं मालिकाना हकूको की खातेदारी आराजी सरहद मौजा जालोर 'ए' पटवार हल्का जालोर, भू.अ.नि. क्षेत्र जालोर, तहसील व जिला जालोर के नया खाता संख्या 607 में खसरा नम्बर 1578 रकबा 0.6700 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 1595, रकबा 1.1500 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 1611 रकबा 1.1500 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम कुल खसरे 03 कुल रकबा 2.9700 हैक्टर, वार्षिक लगान 8.91/– रूपयो के रूप में आई हुई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 अपने निहित हिस्से पर काबिज काश्त है एवं इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम दर्ज इन्द्राज है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 वादग्रस्त खातेदारी आराजी में शांति पूर्वक तरीके से काश्त करते आ रहे है। वादीगण काफी समय से अपने दुसरे कार्यो में व्यस्त होने की वजह से तथा बारिश समय पर नही आने से काफी समय से वादग्रस्त भूमि पर नहीं गये। दिनांक 05.07.2021 को वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मदनलाल वादग्रस्त भूमि पर गया तथा वहा देखा कि प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम ने वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1611 में नींवे खोदकर भर दी है तथा मौके पर काफी मात्रा में निर्माण सामग्री भी पड़ी है तब मदनलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम को काम करने से मना करने पर प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मदनलाल को हस्तक्षेप नही करने की धमकी दी एवं तब वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मदनलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार जालोर को कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही करने पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1

मदनलाल द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के विचारण के दौरान वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद को संशोधित कर विभाजन के वाद में परिवर्तित करने हेतु आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2023 को स्वीकार किया जाकर वादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद को विभाजन के वाद में परिवर्तित कर दिया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जो सम्मन अदम तामील लौटने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2024 को प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. सम्मन भेजे जाकर तलब किया गया एवं जो सम्मन अपीलान्ट को नही मिलने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर सम्मन की पर्याप्त तामील मानकर अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही संस्थित कर दी गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसके बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर कोई तनकीयात कायम किये वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार, जालोर को बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त होने पर वाद दिनांक 19.05.2025 को अन्तिम निर्णय व डिक्री कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2024 को अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई जो कि गलत रूप से लाई गई क्योंकि वादी को न्यायालय द्वारा भेजे गए सम्मन प्राप्त ही नही हुए थे। भेजे गये सम्मन वादी के पुत्र धीरज कुमार जो बालिग एवं विवाहित होकर आपसी मन मुटाव एवं रंजिश वश अपीलान्ट के मौहल्ले मे अपीलान्ट से अलग रहता है उस पर तामील करवाये गये थे एवं जिसके बारे में उसके द्वारा आपसी मन मुटाव एवं अपीलान्ट से रंजिश रखने के कारण अपीलान्ट को सूचना नही दी गई। जिससे अपीलान्ट को सुनवाई हेतु अवसर प्राप्त नहीं हुए। यह है कि धारा 54 सी.पी.सी. एवं आदेश 20 नियम 18 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार विभाजन के बाद में न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारो का हिस्सा घोषित किया जाना आवश्यक है एवं तत्पश्चात् ही उक्त भूमि का विभाजन किया जा सकता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 54 एवं आदेश 10 नियम 18 के प्रावधानुसार प्रस्तुत वाद मे जारी प्रारम्भिक डिक्री मे वादी के अलावा अन्य पक्षकारों के हिस्से को घोषित नही किया गया है। धारा 205 (1)(ii) के प्रावधानानुसार तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की मालना में विभाजन हेतु मौके पर उपस्थित होने व आपत्ति आदि प्रस्तुत करने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14 दिन पहले नोटिस दिया जाना आवश्यक है। तथा धारा 206 के प्रावधानुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति एवं सुनवाई हेतु समस्त पक्षकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु वाद में तहसीलदार द्वारा अपीलांट अथवा अन्य प्रतिवादीगण को मौके पर उपस्थित होने अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया एव ना ही सुनवाई को कोई मौका दिया गया । साथ ही धारा 210 भू– राजस्व अधिनियम के अनुसार विभाजन के वाद में वादग्रस्त भूमि का विभाजन अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि के सिद्धांत के आधार विभाजन किया जाना चाहिये परन्तु वाद में खसरा संख्या 1578, 1595 व 1611 में से सबसे अच्दी व किमती भूमि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 व 2 के हिस्से में दे दी गई एवं खसरा संख्या 1611 की भमि जिस पर स्वयं वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा एवं निर्माण करने का प्रायस करना बता रहे है उक्त भूमि अपीलांट के हिस्से में दे दी गई है। तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव में धारा 205 (1)(ii) , 206 व 210 के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रथमतः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु वाद के विचारण के दौरान वादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश 6 नियम 17 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2023 को स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा के वाद को विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा के वाद में परिवर्तित कर दिया गया है जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थना पत्र के द्वारा किसी वाद की मूल प्रकृति एवं चरित्र में परिवर्तन नही किया गया जा सकता है एवं ना ही कोई नया बिनाय दावा संयोजित किया जा सकता है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था एवं वादी द्वारा वाद मे किये गये अभिकथनो को गलत बताकर अस्वीकार किया गया था एवं इसलिये दावा एवं जवाब दावा में विपरीत कथन किये जाने से न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय किया जाना आवश्यक था लेकिन फिर भी बगैर तनकी कायम किये सीधे ही प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई, तत्पश्चात् निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। यह है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में विभाजन के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया था एवं वाद मे किये गये अभिकथनो में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा खसरा संख्या 1611 में कब्जा कर अवैध निर्माण करने के कथन किये गये थे एवं जो अभिकथन प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में अस्वीकार किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय किया जाना आवश्यक था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये आदेश एवं डिक्री मे स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष पर कोई टिप्पणी नही की गई है एवं ना तो उक्त अनुतोष दिया गया है एवं ना ही खारिज किया गया है। विभाजन के वाद मे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार केवल रिकॉर्डेड खातेदारो को ही पक्षकार बनाया जा सकता है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मंगलाराम को भी पक्षकार संयोजित किया गया है जो कि वादग्रस्त भूमि में खातेदार ही नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मंगलाराम के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने का प्रयास करने का अभिकथन किया गया है एवं इसी सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मंगलाराम के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये सम्मन की विधिवत तामील होने के पश्चात् भी वाद कन्टेस्ट नही किया गया है एवं जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मंगलाराम के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई थी एवं जिससे स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष वादी के पक्ष में पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मंगलाराम को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाना चाहिये था एवं तभी वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जा सकता था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तनकी ही नही कायम की गई एवं ना ही इस पर कोई निर्णय दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध व गैर कानूनी होने से काबिल अपास्त है। अथवा विकल्प में उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त कर वाद को दोबारा सुनवाई हेतु अपीलांट को अवसर देते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 व 02 ने प्रतिवादीगण अपीलाण्ट्स व दीगर रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक दावा बाबत् विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2025 को निर्णय व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2025 को प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व खरीद दस्तावेज अनुसार वादीगण का हक हिस्सा अनुसार तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 के द्वारा जरिये पंजीयन दस्तावेज खरीद की गई आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 तथा अन्य सहखातेदार के मध्य वर्तमान राजस्व रेकर्ड को ध्यान में रखते हुए, मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बराबर– बाई मैट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भौतिक रूप से बंटवाडा कर आने जाने के रास्तों आदि का निर्धारित कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा इसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी है।

3. चूंकि हस्तगत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 64/2025 बअनवान चम्पालाल बनाम मदनलाल वगैरह में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2026 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में अपास्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2025 के आधार पर इसके अनुक्रम में की गयी समस्त पश्चात्वर्ती कार्यवाही यथा विभाजन प्रस्ताव, अंतिम डिक्री एवं अंतिम डिक्री के आधार पर इसके क्रियान्वयन हेतु की गयी अन्य कार्यवाही वस्तुतः सारवान रूप से अंतिम डिक्री से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आच्छादित व इस पर आश्रित होने से स्वतः निरस्त हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री स्वतः काबिल अपास्त है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारान् को नोटिस जारी किये जाने का अंकन अवश्य किया गया है, लेकिन सहखातेदारान् में से अपीलांट सहित रूपी देवी, चम्पालाल, नरसिंगमल, मोहनीदेवी को नोटिस की समुचित तामिल नहीं करवायी गयी बल्कि संबंधित कार्मिक द्वारा उक्त के नोटिस के पुष्ता पर एक ही भाषा में आसामी स्वयं द्वारा नोटिस लेने से इंकार खुले मकान पर चस्पा किया गया, का अंकन किया गया है। लेकिन न तो मौतबिरान के हस्ताक्षर व नाम पता है व न ही अन्य कोई विवरण है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में पक्षकारान् को विविवत् सूचित नही किया गया। विभाजन प्रस्ताव के साथ तैयार साईट प्लान के रूप में कम्प्यूटर से तैयार नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। जबकि डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव के संबंध में नियम 21. में यह आज्ञापक प्रावधान है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर विभाजन के लिए प्रस्तावित भू–खण्डों का मौके पर नक्शा तैयार करें तथा मौके पर सीमांकन खातेदारान् की उपस्थिति में करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ सीमांकन संबंधी कार्यवाही का कोई विवरण नहीं है। इसी प्रकार प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नियम–20 की पालना में न तो प्रत्येक सहआसामी के लिए पृथक से विभाजन प्रस्तावित किया गया एवं न ही सहआसामियों के कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालना न करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर संज्ञान लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो दुषित होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2021 (GCMS NO. 213/2021) बअनवान मदनलाल बनाम मंगलाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डक्री दिनांक 19.05.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विधिवत् प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरांत उक्त डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 05.10.2020 की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर, जालोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली